(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2629–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 156/अपील/2013–14.

.....

किशनलाल पिता गंगाराम
निवासी ग्राम चमारी परगना ब्यावरा
जिला राजगढ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रोड जी पिता कनीराम
2–शिवनारायण पिता कनीराम
सभी निवासी ग्राम चमारी परगना ब्यावरा
जिला राजगढ़ म0प्र0 .....अनावेदकगण

श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक– आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/7/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार ब्यावरा जिला राजगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ग्राम चमारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ में भूमि सर्वे कमांक 184/1/2 रकबा 1.012 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 66/1, 102/2 व 115/2 कुल रकबा 0.708 हेक्टेयर की भूमिस्वामी श्रीमती धनीबाई थी । उनके लाऔलाद मृत्यु हो गई है और अनावेदकगण उसके सगे भतीजे है, अतः उनके पक्ष में वारिसाना नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा

प्रकरण दर्ज कर आपत्ति आंमत्रित की गई, जिस पर आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई कि धनीबाई का वह भान्जा है और उसे धनीबाई द्वारा गोद लिया गया था और 50–60 वर्षो से वह धनीबाई के साथ रह रहा था अतः उसके पक्ष में वारिसाना नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नामान्तरण किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–6–14 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को मृतक भूमिस्वामी धनीबाई द्वारा विधिवत् गोद लिया गया था औश्र आवेदक द्वारा अंतिम समय तक मृतक भूमि स्वामी धनीबाई की देखभाल की गई है इस कारण आवेदक ही एकमात्र मृतक भूमिस्वामी का वैधानिक वारिस था अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक बचपन से ही धनीबाई के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था और धनीबाई का अंतिम संस्कार व घाटानुक्ता आवेदक द्वारा ही किया गया है, परन्तु उसकी भूमि हड़पने के उद्देश्य से अनावेदकगण द्वारा उसके वारिसान बनकर उपस्थित हुये है । इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नामान्तरण करने में अवैधानिकता की गई थी इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को गोद लेने के लिये गोदनामा की शर्तो की पूर्ति नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि धनीबाई विधवा बाद में हुई है और पहले ही गोद लिया जाना बतलाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक को गोद लेना विधि अनुसार प्रमाणित नहीं हुआ है । अतः तहसीलदार के द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा अपने आपको मृतक भूमिस्वामी धनीबाई का दत्तक पुत्र प्रमाणित नहीं किया गया है, क्योंकि प्रकरण में उसके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी धनीबाई द्वारा उसे गोद लिया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा वारिसाना नामान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त दत्तक पुत्र प्रमाणित करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है और इस संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इस कारण आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर